तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विष्णुचंद **बनाम** अजमेर जिला गुर्जर समाज व अन्य इजराय संख्या **01/2014**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
16.01.2026	अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थी प्रेमनाथ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 21.03.2025, मदयून संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 03.03.2025, मदयून संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.03.2025 व डिक्रीदार की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 08.04.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। **प्रार्थी प्रेमनाथ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मदयून संख्या 04 की मृत्यु के तथ्य को प्रलेख पर लेने बाबत दिनांकित 21.03.2025** प्रार्थी प्रेमनाथ ने पेशी दिनांक 21.03.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर मुख्य रूप से कथन किया कि डिक्रीदार ने दिनांक 15.04.2014 को मदयूनान के विरूद्ध यह इजराय पेश की है, जिसमें मदयून संख्या 4 भोपा श्री छोगानाथ गुर्जर, भूणाजी का मंदिर पुष्कर (मृतक) जरिये श्री किशनलाल उर्फ किशननाथ का निधन दिनांक 28.03.2000 को ही हो गया था। डिक्रीदार द्वारा यह इजराय भोपा श्री छोगानाथ गुर्जर भूणाजी का मंदिर पुष्कर (मृतक) जरिये श्री किशनलाल उर्फ किशननाथ के विरूद्ध पेश की। किशनलाल उर्फ किशननाथ के निधन के पश्चात उनका शिष्य भोलानाथ बना जिसका निधन वर्ष 2008 में हो चुका है और वर्ष 2008 से आज दिवस तक प्रार्थी भोलानाथ शिष्य चला आ रहा है। उपरोक्त इजराय मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो निष्पादनीय नहीं है, चूंकि मदयून संख्या 4 का निधन यह इजराय प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुका था और मदयून संख्या 4 की मृत्यु का तथ्य डिक्रीदार के ज्ञान में था, फिर भी डिक्रीदार ने एक मृतक के विरूद्ध यह इजराय प्रस्तुत की है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन करते हुए इजराय निरस्त करने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की तथा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किएः– 1. Pranip Kumar Roy and another Vs Tata iron and steel company (tisco) (2007) 1 BLJR 837 दूसरी ओर डिक्रीदार ने उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि यह इजराय दस वर्ष से अधिक अवधि से पुरानी है, जिसके निष्पादन के लिए न्यायालय ने विधिनुसार कब्जा वारंट जारी किया है, इस कार्यवाही में प्रतिरोध, बाधा, व्यवधान पहुंचाने की गरज से आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थी प्रेमनाथ शिष्य भोलानाथ के द्वारा प्रार्थना पेश करने का क्या औचित्य है यह स्पष्ट नहीं है। पूर्व में अपने आपको अध्यक्ष बताते हुए तथा अपने आपको जीवित बताते हुए कन्हैयालाल द्वारा न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया था, जिसको सुनकर न्यायालय ने विस्तृत आदेश पारित किया था। उस स्थिति में जब अध्यक्ष द्वारा ही मदयून संख्या 4 के जीवित होने व मृत्यु होने का कोई कथन न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया तो इस प्रेमनाथ को आवेदन पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यतः यह डिक्री अजमेर जिला	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विष्णुचंद **बनाम** अजमेर जिला गुर्जर समाज व अन्य इजराय संख्या **01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गुर्जर समाज अजमेर स्थित कार्यालय 18/202 छीपा गली उतार घसेटी अजमेर के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें न्यायालय की इस इजराय की कार्यवाही के अनुसार कन्हैयालाल अध्यक्ष उक्त समाज का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष की हैसियत से करना बताया है, इसलिए अगर मदयून संख्या 4 का देहांत भी होता है तो इस इजराय पर कोई असर नहीं होता है तथा तथाकथित किशनलाल केवल मात्र समाज का प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार है, इसके देहांत की कोई सूचना कभी भी पूर्व में नहीं दी गई है, क्योंकि यह मदयून संख्या 4 अजमेर जिला गुर्जर समाज का प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार है। अंत में प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने की प्रार्थना की और अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किएः– 1. Khatu Bai and another Vs Khatija Bai and others AIR 1973 Andhra Pradesh 35 2. B. Gangadhar Vs B.G. Rajalingam (1996) AIR (SCW) 117 3. Satyawati Vs Rajinder Singh and another (2013) 7 AD(SC) 73 4. Mahaveer Prasad Versus the Addl. District Judge No. 1 2013 (4) RLW 3678 (Raj.) प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण में डिक्रीदार विष्णु चंद द्वारा 4 मदयूनान के विरूद्ध डिक्री के निष्पादन हेतु यह आवेदन पत्र दिनांक 15.04.2014 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिनमें मदयून संख्या **01.** अजमेर जिला गुर्जर समाज अजमेर स्थित कार्यालय 18/202, छीपा गली, उतार घसेटी, अजमेर, **2.** श्री कन्हैयालाल, अध्यक्ष, अजमेर जिला गुर्जर समाज, अजमेर, **3.** श्री हनुमंत सिंह रावत, रावत कॉलेज, स्टेशन रोड़, अजमेर(मृतक), **4.** भोंपा श्री छोगानाथ गुर्जर, भूणाजी का मंदिर, पुष्कर (मृतक) जरिये किशन लाल गुर्जर है। तत्पश्चात मदयूनान को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए, जिसमें पेशी दिनांक 15.09.2015 को कन्हैयालाल की फौतगी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो प्रकरण में मदयून संख्या 2 था, पेशी दिनांक 11.04.2016 को वकील डिक्रीदार ने जाहिर किया कि मदयून संख्या 3 की मृत्यु हो चुकी है। इस दौरान दिनांक 04.10.2016 को डिक्रीदार के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मदयून संख्या 02 कन्हैयालाल, अजमेर जिला गुर्जर समाज का अध्यक्ष था एवं तामील कुनिंदा की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि कन्हैयालाल का देहांत हो चुका है। अजमेर जिला गुर्जर समाज का श्री शिवा गुर्जर, गुर्जर समाज, अजमेर का नया अध्यक्ष है, जिन्होंने कन्हैयालाल के बाद पद संभाला है। इस पर न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 28.11.2016 को मदयून संख्या 2 की तामील नये पते पर जारी करने बाबत आदेश पारित किए गए।	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विष्णुचंद **बनाम** अजमेर जिला गुर्जर समाज व अन्य इजराय संख्या **01/2014**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
	तत्पश्चात पेशी दिनांक 08.03.2022 को डिक्रीदार की तरफ से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 5 नियम 20 सपठित धारा 141, 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश हुआ एवं अधिवक्ता डिक्रीदार ने मदयूनगण के नोटिस अखबार में साया कर तामील कराए जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की। तत्पश्चात पेशी दिनांक 31.01.2023 को डिक्रीदार की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश हुआ, जिसके माध्यम से डिक्रीदार की ओर से प्रार्थना की गई डिक्रीदार जगदीश चंद पालीवाल पुत्र विष्णु चंद पालीवाल का देहांत हो गया है, जिनके विधिक वारिसान को उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से जगदीश चंद के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिए जाने की प्रार्थना की। साथ ही यह भी कथन किया कि डिक्रीदार विष्णु चंद पालीवाल का भी निधन हो गया है, जिसके विधिक वारिसान तथा कांति चंद पालीवाल का देहांत होने पर उसके विधिक वारिसान को भी रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई। साथ ही डिक्रीदारान ने संशोधित शीर्षक भी पेश किया। पेशी दिनांक 10.09.2024 को डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 सिविल प्रक्रिया संहिता न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया एवं मृतक डिक्रीदार के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। साथ ही इस आदेश के जरिये डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 5 नियम 20 सपठित धारा 141, 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का भी निस्तारण करते हुए न्यायालय ने मदयूनान के नोटिस स्थानीय अखबार में साया करवाने के आदेश पारित किए। पेशी दिनांक 09.12.2024 को डिक्रीदार ने समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत की एवं मदयूनान की ओर से कोई उपस्थित नहीं आए, जिस पर न्यायालय द्वारा मदयूनान के विरूद्ध कब्जा वारंट अंतर्गत आदेश 21 नियम 25 सिविल प्रक्रिया संहिता जारी किया गया। तत्पश्चात पेशी दिनांक 17.12.2024 को डिक्री धारक ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश किया जिसका निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2025 को किया गया एवं डिक्री धारक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि यदि डिक्रीशुदा परिसर का कब्जा मदयूनान द्वारा खाली नहीं किया जाता है तो डिक्रीशुदा परिसर का कब्जा जरिये पुलिस इमदाद के डिक्रीदार को सुपुर्द करवाए एवं अदम मौजूदगी मदयूनान में डिक्रीशुदा परिसर वाले कमरे जिनके गेट पर ताले लगे हुए हैं, ताले तोड़कर कब्जा दिलवाया जावे। साथ ही आवश्यक्तानुसार पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने के आदेश पारित किए गए। आगामी पेशी दिनांक 27.01.2025 को थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर की रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ कि डिक्रीशुदा परिसर का कब्जा लेते समय गुर्जर समाज द्वारा विरोध होना संभाव्य है एवं पुलिस जाब्ता अधिक संख्या में नियोजित किया जाना आवश्यक है, जिस पर न्यायालय द्वारा पुनः कब्जा वारंट जारी किया गया। आगामी पेशी दिनांक 10.02.2025 को कन्हैयालाल द्वारा	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विष्णुचंद **बनाम** अजमेर जिला गुर्जर समाज व अन्य इजराय संख्या **01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 06.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो पेशी में लिया गया एवं उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 10.02.2025 को न्यायालय द्वारा करते हुए कन्हैयालाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2025 अस्वीकार कर खारिज किया गया है एवं पुनः कब्जा वारंट जारी किया गया है। आगामी पेशी दिनांक 24.02.2025 को मदयून संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 26 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश हुआ। साथ ही मदयून शिवा गुर्जर की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश हुआ। न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2025 को मदयून संख्या 2 कन्हैयालाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री निष्पादन से पूर्व मदयून संख्या 2 को अवसर दिया कि आगामी दिनांक से पूर्व या तो डिक्री की पालना में डिक्रीशुदा परिसर का रिक्त कब्जा डिक्री को सुपुर्द कर दे या इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि वह स्वयं के स्तर पर न्यायालय द्वारा बिना कब्जा वारंट जारी किए ही आगामी 15 दिवस की अवधि के भीतर डिक्री की पालना करवा देगा। साथ ही न्यायालय ने यह मत भी व्यक्त किया था कि मदयून संख्या 2 कन्हैयालाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि वह वर्तमान में अजमेर जिला गुर्जर समाज का अध्यक्ष नहीं हो, बावजूद यह जानते हुए कि डिक्रीदार द्वारा दिनांक 04.10.2016 को नये अध्यक्ष के रूप में शिवा गुर्जर को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इससे यही प्रकट होता है कि प्रार्थी कन्हैयालाल वर्तमान में उक्त अजमेर जिला गुर्जर समाज का अध्यक्ष है। न्यायालय ने इस आधार पर शिवा गुर्जर की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 सिविल प्रक्रिया संहिता व आदेश 01 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 24.02.2025 अस्वीकार कर खारिज किया गया एवं पत्रावली अग्रिम कार्यवाही में नियत की गई थी। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी प्रेमनाथ शिष्य श्री भोलानाथ का कथन है कि इजराय में मदयून संख्या 4 भोपा श्री छोगानाथ गुर्जर भूणाजी का मंदिर पुष्कर (मृतक) जरिये श्री किशनलाल उर्फ किशननाथ का निधन दिनांक 28.03.2000 को हो चुका है ऐसी स्थिति में डिक्रीदार ने मृतक के विरूद्ध यह इजराय पेश की है, जो निरस्त किए जाने योग्य है, जिसका डिक्रीदार ने पुरजोर खण्डन किया है। इस न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थी प्रेमनाथ शिष्य श्री भोलानाथ हो और भोलानाथ किशनलाल उर्फ किशननाथ का शिष्य हो, इस बारे में कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किए गए हैं। उक्त इजराय में प्रार्थी का क्या हित निहित है यह भी न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में जिन न्यायिक दृष्टांत का अवलंबन लिया है, उनमें प्रतिपादित सिद्धांतों से यह न्यायालय सहमति प्रकट करता है। उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के भिन्नता के कारण प्रार्थी को इस स्तर पर कोई सहमति प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त डिक्रीदार ने अपने डिक्री निष्पादन के आवेदन में भी मदयून संख्या 04 के नाम के	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विष्णुचंद **बनाम** अजमेर जिला गुर्जर समाज व अन्य इजराय संख्या 01/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आगे मृतक शब्द अंकित कर रखा है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी प्रेमनाथ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मदयून संख्या 4 की मृत्यु के तथ्य को प्रलेख पर लेने बाबत दिनांकित 21.03.2025 को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

मदयून संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 03.03.2025

मदयून संख्या 2 ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर मुख्य रूप से कथन किया कि हस्तगत इजराय याचिका न्यायालय के समक्ष डिक्रीदार पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र की पद संख्या 2 में वर्णित संपत्ति का कब्जा अंतर्गत आदेश 21 नियम 35 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दिलाए जाने बाबत पेश की है, जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश 21 नियम 35 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कब्जा वारंट जारी किया गया है। उक्त वारंट के तहत डिक्रीदार पक्ष मदयूनान के स्वामित्व की संपत्ति जो वर्तमान में गुर्जर घाट के नाम से होकर अवस्थित करती है, का कब्जा डिक्रीटल संपत्ति के रूप में प्राप्त करने पर प्रयासरत है। मदयूनान की अचल संपत्ति जो कि गुर्जर घाट के नाम से पुष्कर में होकर अवस्थित करती है, का निर्माण वर्ष 1990 में संपूर्ण गुर्जर समाज द्वारा करवाया गया है एवं निर्माण उपरांत से ही मदयूनान के मालिकाना हक वाली संपत्ति गुर्जर घाट के रूप में प्रसिद्ध है। मदयूनान कभी भी डिक्रीशुदा संपत्ति पर काबिज नहीं है और न ही रहे हैं। डिक्रीदार पक्ष को न्यायालय द्वारा डिक्री के तहत जिस संपत्ति का मालिक घोषित किया गया है डिक्रीदार उक्त डिक्री की आड़ में मदयूनान की संपत्ति पर कब्जा करने पर आमादा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन करते हुए डिक्रीशुदा संपत्ति की मौका रिपोर्ट तलब कराए जाने बाबत आदेश पारित करने की प्रार्थना की।

दूसरी ओर डिक्रीदार ने उपरोक्त तर्कों से असहमत होते हुए पृथक से जवाब पेश कर मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय द्वारा जो कब्जा वारंट जारी किया गया है उसकी रिपोर्ट स्वयं बोलती है। गुर्जर घाट लिख देने से अचल संपत्ति परिवर्तित नहीं होती मौके पर स्थिति के अनुसार कब्जा दिए जाने का दायित्व मदयूनगण को है। न्यायालय ने जो डिक्री पारित की उसमें मदयूनगण किसी प्रकार निर्माण नहीं करें और यथास्थिति बनाए रखे यह भी स्पष्ट बेदखली का आदेश दिया है कि वह इस संपत्ति का खाली कब्जा निर्णय के दो माह के भीतर प्रदान कर देवे अगर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कर मदयूनगण के कथनानुसार कोई घाट अंकित कर दिया गया है तो उससे किसी प्रकार का कोई अंतर डिक्री निष्पादन में नहीं आता है। मदयूनान द्वारा डिक्री के खिलाफ अपील पेश की गई थी ऐसी स्थिति में 1990 के पूर्व के निर्माण के कथन डिक्री के पूर्व के मामले हैं, जो निर्णीत हो चुके हैं। अंत में प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने की प्रार्थना की।

उभयपक्षों के तर्कों वितर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली

की वर्तमान स्थिति बाबत पूर्ण विवेचन पूर्व के प्रार्थना पत्र के निस्तारण करते हुए न्यायालय द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः पत्रावली की स्थिति बाबत विवेचन किया जाना यहां उचित प्रतीत नहीं होता है। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी मदयून संख्या 2 का कथन है कि डिक्रीदार उसके पक्ष में पारित डिक्री की आड़ में मदयून संख्या 2 की संपत्ति पर कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण मौका रिपोर्ट तलब की जानी आवश्यक है। इस न्यायालय के विनम्र मत में डिक्रीदार ने जिस संपत्ति के डिक्री निष्पादन के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, न्यायालय द्वारा उसी संपत्ति बाबत डिक्री निष्पादन की कार्यवाही की जाएगी। हस्तगत प्रार्थना पत्र में मदयून संख्या 2 स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र की पद संख्या 2 में डिक्री में वर्णित संपत्ति का विवरण दिया है। न्यायालय पुनः उल्लेख करना वांछनीय समझता है कि न्यायालय द्वारा जिस निर्णय की पालना हेतु हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उस संपत्ति बाबत न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना संबंधी कार्यवाही की जाएगी। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर मदयून संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मौके की रिपोर्ट तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मदयून संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते डिक्रीशुदा संपत्ति की मौका रिपोर्ट तलब किए जाने बाबत दिनांकित 03.03.2025 को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

मदयून संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.03.2025

मदयून संख्या 2 ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर मुख्य रूप से कथन किया कि मदयून संख्या 2 ने न्यायालय के आदेश दिनांक 25.02.2025 की पालना में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, इसके पश्चात डिक्रीदार द्वारा दिनांक 25.03.2025 को अभिलेख पर अपना शपथ पत्र जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इजराय याचिका की प्रक्रिया के विपरीत होने से पत्रावली के डी भाग में रखे जाने योग्य है। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.02.2025 से केवल मदयून संख्या 2 को ही शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए थे परंतु डिक्रीदार पक्ष को कोई निर्देश जारी नहीं किए गए, डिक्रीदार द्वारा जबरन न्यायालय को गुमराह करके डिक्रीटल परिसर की आड़ में गुर्जर घाट का कब्जा जरिये न्यायालय से प्राप्त करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। डिक्रीदार पक्ष की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 25.03.2025 का समग्र अवलोकन करने से यह तथ्य अभिलेख पर पुष्ट होता है कि डिक्रीदार अपने पक्ष में पारित डिक्री जिसके तहत उसे डिक्रीटल परिसर एक बाड़े का कब्जा प्राप्त किए जाने के विपरीत येन केन प्रकारेण न्यायालय को गुमराह कर गुर्जर समाज के मालिकाना हक व अधिकारी वाली संपत्ति जो कि गुर्जर घाट के नाम से विख्यात होकर अवस्थित करती है एवं डिक्रीशुदा परिसर से चतुर्थ सीमाओं के आधार पर एवं भौगोलिक रूप से भिन्न है, का कब्जा

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विष्णुचंद **बनाम** अजमेर जिला गुर्जर समाज व अन्य इजराय संख्या **01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय के जरिये प्राप्त किए जाने पर आमादा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 25.03.2025 को पत्रावली के डी पार्ट में रखे जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की। दूसरी ओर डिक्रीदार ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि मदयूनान के खण्डन में शपथ पत्र दिया जाना अतिआवश्यक है। खण्डन का अधिकार प्रतिपक्षी को है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। डिक्रीशुदा परिसर पर अजमेर जिला गुर्जर समाज द्वारा जो न्यायालय के अस्थायी निषेधाज्ञा के बावजूद भी जो निर्माण किया था, उसके लिए मदयून को न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.1995 को दण्डित किया गया है। प्रश्नगत जायदाद पर दौराने दावा व इजराय निर्माण करने का कोई अधिकार गुर्जर समाज को नहीं हैं अंत में प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने की प्रार्थना की। उभयपक्षों के तर्कों वितर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से मदयून संख्या 2 का यह कथन है कि उन्होंने न्यायालय के आदेश दिनांक 25.02.2025 की पालना में शपथ पत्र पेश किया, जिसके खण्डन में डिक्रीदार द्वारा भी शपथ पत्र पेश किया गया जो न्यायालय के आदेश की पालना में नहीं था। अतः उसे पत्रावली के पार्ट डी में रखा जाए, जिसका डिक्रीदार ने पुरजोर खण्डन किया। इस न्यायालय के विनम्र मत में इस न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 25.02.2025 को मदयून संख्या 2 को शपथ पत्र प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था, जिसकी पालना में मदयून संख्या 2 द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है यदि उक्त शपथ पत्र के खण्डन में डिक्रीदार ने नया शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है तो इससे किसी भी पक्ष के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब डिक्रीदार का यह आक्षेप हो कि मदयून ने झूठे तथ्यों के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय यह लिखना भी वांछनीय समझता है कि मदयून ने जो शपथ पत्र पेश किया उसके पृष्ठ संख्या 2 में डिक्रीदार के पक्ष में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का कब्जा राजस्व अधिकारी से सीमाज्ञान व चिन्हित कराए जाने के उपरांत कब्जा वारंट दिलाए जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। साथ ही उक्त शपथ पत्र में गुर्जर घाट वाले परिसर को डिक्रीदार के पक्ष में डिक्री में अंकित परिसर से भिन्न बताया है। उक्त शपथ पत्र के खण्डनस्वरूप डिक्रीदार की ओर से एक शपथ पत्र पेश किया गया है, जो इस न्यायालय के विनम्र मत में पार्ट डी में रखे जाने का औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मदयून संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र बविरूद्ध शपथ पत्र दिनांकित 25.03.2025 को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। **डिक्रीदार की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 08.04.2025** डिक्रीदार ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विष्णुचंद **बनाम** अजमेर जिला गुर्जर समाज व अन्य इजराय संख्या **01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय ने पक्षकारों को समुचित अवसर देने के पश्चात आदेश पारित कर मदयूनगण को आदेश दिया था कि आगामी दिनांक से पूर्व या तो वह डिक्री की पालना में डिक्रीशुदा परिसर का रिक्त कब्जा डिक्रीदार को सुपुर्द कर दे या इस आशय का शपथ पत्र पेश करे कि वह स्वयं के स्तर पर न्यायालय द्वारा बिना कब्जा वारंट जारी किए हुए 15 दिवस के भीतर डिक्री की पालना करवा देगा। उक्त आदेश के विपरीत मदयून की ओर से दिनांक 25.03.2025 को न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करते हुए शपथ पत्र पेश किया था, चूंकि उक्त शपथ पत्र न्यायालय के आदेशानुसार पेश नहीं किया गया था इसलिए डिक्रीदार की ओर से न्यायालय को सही तथ्य से अवगत कराते हुए शपथ पत्र पेश किया गया लेकिन मदयून द्वारा पुनः आपत्ति डिक्रीदार के शपथ पत्र दिनांक 25.03.2025 के विरूद्ध दिनांक 27.03.2025 को पेश कर दी गई, जिसमें निवेदन किया कि बाड़े की आड़ में डिक्रीदार गुर्जर घाट के नाम से विख्यात होकर जो जायदाद अवस्थित करती है और उसका कब्जा लेना चाहते हैं और दिनांक 27.03.2025 की आपत्ति में मदयूनगण ने यह भी निवेदन किया कि डिक्रीशुदा चतुर्थ सीमाओं के आधार पर भौगोलिक रूप से जायदाद का विवरण भिन्न है। प्रश्नगत जायदाद पर न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा होने के बावजूद भी डिक्रीशदा परिसर पर जो अवैध निर्माण कार्य इन मदयूनगण द्वारा किया गया था और उस बाबत न्यायालय सिविल न्यायालय पुष्कर ने दिनांक 28.10.1995 को मदयूनगण को आदेश 39 नियम 2ए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दण्डित किया जावे। मदयून ने असत्य, आधारहीन व सही तथ्य जानते हुए भी जो शपथ पत्र दिनांक 25.02.2025 के आदेश की पालना में पेश किया गया है, जिसमें प्रश्नगत बाड़े पर गुर्जर घाट होना बताया गया है तो घाट का निर्माण स्पष्टतया न्यायालय द्वारा पारित अवमानना के आदेश से जाहिर होता है कि प्रश्नगत डिक्रीशुदा जायदाद पर ही न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए जो गुर्जर घाट का निर्माण कार्य किया है उससे मदयून डिक्री के निष्पादन में किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं ले सकते हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन करते हुए न्यायालय के दीवानी विविध प्रकरण संख्या 99/1993 है जो विष्णुचंद बनाम अजमेर जिला गुर्जर समाज व अन्य शीर्षक है, जिसका निर्णय दिनांक 28.10.1995 को हुआ है, को तलब करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की। दूसरी ओर मदयून संख्या 02 ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 की पालना करते हुए शपथ पत्र पेश किया जबकि डिक्रीदार को न्यायालय द्वारा कोई शपथ पत्र पेश करने का आदेश नहीं दिया था। इसके पश्चात भी उसने शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर मदयून द्वारा विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गई। डिक्रीदार ने येन केन प्रकारेण डिक्रीशुदा परिसर बाड़े की आड़ में मदयूनान की खरीदशुदा अचल संपत्ति गुर्जर घाट का कब्जा प्राप्त करना चाहता है, के द्वारा पुनः एक बार हस्तगत प्रार्थना पत्र के मार्फत न्यायालय को गुमराह किया जा	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विष्णुचंद **बनाम** अजमेर जिला गुर्जर समाज व अन्य इजराय संख्या 01/2014	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रहा है। मदयूनान की अचल संपत्ति जो कि गुर्जर घाट के नाम से पुष्कर में होकर अवस्थित करती है, का निर्माण वर्ष 1990 में सम्पूर्ण गुर्जर समाज द्वारा करवाया गया है एवं निर्माण उपरांत से ही मदयूनान के मालिकाना हक वाली संपत्ति गुर्जर घाट के रूप में प्रसिद्ध है, मदयूनान कभी भी डिक्रीशुदा संपत्ति पर काबिज नहीं थे और न ही रहे हैं। अंत में प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने की प्रार्थना की।

उभयपक्षों के तर्कों वितर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पद संख्या 6 व 7 में वर्णित पत्रावली को तलब करने की प्रार्थना कर रहा है। इस बाबत इस न्यायालय के विनम्र मत में डिक्रीदार अपने स्तर पर प्राप्त कर उक्त पत्रावली में पेश करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित पत्रावली तलब किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। उक्तानुसार डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हुआ है कि अभी तक डिक्री की पालना नहीं हुई है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.02.2025 की पालना में पत्रावली कब्जा वारंट जारी हो। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली कब्जा वारंट जारी होकर देखने पालना रिपोर्ट में दिनांक 20.01.2026 को पेश हो।

सिविल न्यायाधीश, पुष्कर

GULSHAN BAGORIA

Digitally signed by GULSHAN BAGORIA
Date: 2026.01.17 17:14:53 +0530